तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 70/2015 रामप्रताप बनाम शिवलाल आदि, अन्तर्गत धारा आदेश 39 नियम 2क, धारा 151 सीपीसी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
09.09.2019	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण शिवलाल आदि ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 39 नियम 2क, धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण रामप्रताप आदि द्वारा वाद पत्र 43/15 अनवान रामप्रताप आदि बनाम शिवलाल आदि का पेश किया। वाद के साथ स्थगन आवेदन पत्र इसी अनवान का मिसल सं. 35/2015 पेश किया हुआ था। जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 21.05.2015 को स्थगन प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए निर्णय किया जाकर ताफैसला वा, वाग्रस्त भूमि के रिकार्ड अनुसार हम प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण के नाम की भूमि की हद तक की भूमि ही रहन बैय नहीं करने हेतु पाबंध किया साथ ही वादीगण को भी चक 61 आरबी के मु.नं. 8 की 1.581है भूमि व मु.नं. 48 की 0.886है तथा मु.नं. 33 की 2.340है भूमि में से वादीगण के नाम की भूमि की हद तक की भूमि ही रहन बैय नहीं करने हेतु पाबन्द किया हुआ हैं। वादीगण के नाम की भूमि के अलावा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के नाम की भूमित के संबंध में व कब्जा काश्त के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा जरिये स्थगन आदेश कोई बंदिश लागू नहीं की गई हैं। लेकिन वादीगण रामप्रताप व रामकिशन द्वारा अपने प्रभाव के कारण उक्त समस्त भूमि पर अन अधिकृत रूप से न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की फसल को जबरन उठाया जा रहा है। अतः वादीगण रामप्रताप व राकिशन के विरूद्ध न्यायालय के आदेश की उल्लंघना किये जाने की उचित कानूनी कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आकर जवाब पेश न कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। बहस उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादीगण रामप्रताप व राकिशन के विरूद्ध न्यायालय के आदेश दिनांक 21.05.2015 की अवहेलना करने के कारण कानूनी कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण/वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय के आदेश दिनांक 21.05.2015 के द्वारा चक 61 आर.बी के मु.नं. 8 की 1.581है भूमि व मु.नं. 48 की 0.886 है. व मु.नं. 33 की 2.340है भूमि में प्रार्थीगण/वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का मूल वाद के निर्णत तक अप्रार्थीगण रहनबैय नहीं करें, के आदेश दिए गए थे। अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा उक्त भूमि को आज दिनांक तक रहन-बैय नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज करने हेतु निवेदन किया।	(सन्दीप कुमार) उप खण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण सं. 35/15 अनवानी रामप्रताप आदि बनाम शिवलाल आदि अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. को अपने निर्णय दिनांक 21.05.2015 द्वारा आंशिक स्वीकार किया जाकर चक 61 आर.बी के मु.नं. 8 की 1.581है भूमि व मु.नं. 48 की 0.886 है. व मु.नं. 33 की 2.340है भूमि में प्रार्थीगण/वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का मूल वाद के निर्णत तक अप्रार्थीगण रहनबैय नहीं करें के आदेश दिए गए थे। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा उक्त स्थगन आदेश की अवहेलना में अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि के किसी अन्य के नाम हस्तांतरण तथा रहन आदि किए जाने के संबंध में कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किया हैं। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किए जाने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण साक्ष्यों के अभाव में खारिज किया जाता हैं।

पत्रवली फैंसले में शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे।

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

(सन्दीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner